International Journal of Applied and Universal Research **E-ISSN No: 2395-0269**
Volume XII, Issue I, January – February 2025 **Available online at: www.ijaur.com**
Impact Factor- 5.997

सामाजिक विकास एवं जाति व्यवस्था में परिवर्तन

डॉ. जितेन्द्र कुमार चौधरी
सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस ज्ञानचंद्र श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह (म.प्र.)

सारांशः— जाति व्यवस्था में परिवर्तन सामाजिक अन्तःक्रियाओं एवं सामाजिक सम्बंधो में आये परिवर्तन द्वारा घटित होता है। साथ ही औद्योगीकरण, नगरीकरण, शिक्षा, आधुनिकीकरण, यातायात एवं संचार के साधनों ने लोगों को आपस में एकत्रित करने सामूहिक रूप से मिलने जुलने हेतु अवसर निर्मित किये। मानवीय स्वाभाव के अनुरूप जब दो व्यक्तियों या समूहों के मध्य अन्तःक्रियाओं की दर बड़ती है; तो उनमें सामाजिक सम्बंधों का निर्माण होता है। इस प्रकार दो समूहों या व्यक्तियों के मध्य की सामाजिक दूरी में कमी आती है। इनमें पारस्परिक रूप से एक दूसरे की जाति (श्रेणी) के प्रति घृणा की भावना स्वतः ही सामाजिक अन्तर्क्रियाओं की निरंतरता एवं सामाजिक व्यवहार में वृद्धि होने से समाप्त होने लगती है। और इस प्रकार समाज में विभिन्न जातियों के मध्य सम्पर्क बड़ता है; तथा जाति व्यवस्था की कठोरता सामाजिक व्यवहार एवं क्रियाओं के दौरान निरंतर घटती जाती है। इसके पीछे एक मानासिक कारण जो कि परम्पराओं द्वारा निर्धारित अज्ञात के प्रति भय या शंका की धारणा समाप्त होने से विभिन्न जाति समूहों के सदस्यों में मैत्री एवं समानता का भाव जन्म लेता है। यह भाव व्यक्ति विशेष तक प्रायः सीमित होता है। वहीं प्रारंभ में उसकी जाति गौंड हो जाती है। समय, आवश्यकता एवं परिस्थतियों के अनुरूप धीरे–धीरे जाति की यह धारणा भी शिथिल होती जाती है।

मुख्यशब्दः— सामाजिक अन्तःक्रिया, सामाजिक दूरी, सामाजिक परिवर्तन, विकास, आधुनिक भारतीय समाज ।

प्रस्तावनाः—

समाज का विकास अचानक न होकर क्रमिक परिवर्तनों एवं उद्विकास का परिणाम माना जा सकता है। आदिमानव युग से वर्तमान आधुनिक युग तक समाज के विकास का क्रम–सत्त रूप से अनवरत चलता रहा। प्रौद्योगिकी में परिवर्तनों के साथ समाज के भौतिक एवं अभौतिक पक्षों में बदलाव आया। 18वीं शताब्दी के पुनर्जारण के पश्चात् हुई औद्योगिक क्राँति के प्रभावों से सम्पूर्ण वि" व प्रभावित हुआ। राजतंत्र एवं रूढिवादी जड़ मान्यतओं के स्थान पर प्रजातंत्र, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रभाव ने मानव समूहों को एक–साथ मिलकर नये सास्कृतिक सम्बंध स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। वैज्ञानिक प्रगति, शिक्षा, आवागमन एवं दूरसंचार के साधनों ने परम्परागत मान्यताओं एवं रूढिवादी प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाना प्रारंभ किया समाज में स्वतंत्रता समानता एवं बन्धुत्व की विचारधारा ने सामाजिक विकास में महत्पूर्ण भूमिका निभाई।

इस वृहद सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव भारतीय समाज की कई शताब्दियों से चली आ रही जाति व्यवस्था पर भी पड़ा। ब्रिटिश औपनिवेश एवं संस्कृति ने भारतीय समाज एवं संस्कृति की विकृत प्रथाओं जिनमें सतीप्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा, नर बलि, विधवा विवाह निशेध, समाप्त कर वंचित वर्गों एवं महिलाओं को शिक्षा तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये। परिणामतः विभिन्न संस्थाओं, उद्योगों एवं शैक्षणिक जगत में हुए क्राँतिकारी बदलाव ने अनेक जातियों को आपस में अन्तक्रियाँ करने का अवसर उपलब्ध कराया, जिससे विभिन्न जातियों के मध्य की दूरी में कमी आना प्रारंभ हुई। लोगों की आवश्यकता एवं जरूरतों ने जातिगत ऊँच–नीच की भावना का परित्याग कर भौतिक आवश्यकताओं एवं धन की प्राप्ति को प्राथमिकता प्रदान करते हुए पवित्रता एवं अपवित्रता की धारणा को शिथिल किया। वहीं आजादी के बाद संविधान ने लोगो को कानूनों के माध्यम से जातिगत भेदभाव मिटाने घृणा एवं अत्याचार रोकने हेतु मुख्यता नियम बनाये जिसके परिणामस्वरूप जातिगत् भेदभाव कम हुआ और जाति व्यवस्था में परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ। प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक प्रगति, नगरीकरण एवं शिक्षा के बढ़ते प्रभावों के कारण समाज के विकास के साथ–साथ जाति व्यवस्था में भी निरंतर परिवर्तन होते जा रहे है।

सामाजिक अन्तः क्रियाः— सामाजिक क्रिया, अन्तर्क्रिया, प्रक्रिया तथा सामाजिक व्यवहार समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों की कुछ ऐसी मूलभत अवधारणाएँ है जिनका प्रयोग प्रायः पर्यायवायी शब्दों के रूप में कर लिया जाता है। किन्तु इसमें काफी समानता होते हुए भी इनके अर्थों में सूक्ष्म अन्तर है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक–दूसरे से अभिप्रेरित होकर अर्थपूर्ण क्रिया करते है तब इसे सामाजिक अन्तर्क्रिया कहते है क्रिया केवल एक व्यक्ति द्वारा भी हो सकती हैं, किंतु सामाजिक अन्तर्क्रिया के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। सामाजिक अन्तक्रिया पारस्परिक आदान प्रदान का ऐसा सम्बंध है जिसमें

व्यक्तियों के व्यवहार, उनकी अनुभूतियां एक–दूसरे से सामाजिक अन्तक्रिया के दो मूल तत्व है, यथा पारस्परिक उत्तेजना तथा प्रत्युत्तर! इन दोनों के परिणामस्वरूप ही व्यवहार में अन्तर उत्पंन होता है।[1]

आधुनिक भारतीय समाजः– भारतीय समाज का वि" लेशण करना वस्तुतः एक प्राचीन सभ्यता का अध्ययन करना है। हजारो वर्षों की प्रक्रियाओं को देखकर आज के भारत की तस्वीर को रखना है। समाज कुछ और न होकर अन्तःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। भारतीय समाज की अपनी एक विशिष्टता रही है। अपनी इस विशिष्ट व्यवस्था की अन्तःक्रिया बाहरी परम्पराओं की व्यवस्थाओं के साथ हुई। यह भारत आन्तरिक और बाहरी व्यवस्थाओं की अन्तःक्रिया का परिणाम है। विभिन्न युगों में ऐतिहासिक कालों में यहाँ शाक, हूण, और मुसलामान आये वे अपनी एक व्यवस्था लेकर आये। उनकी सभ्यता और संस्कृति ने भारतीय समाज को प्रभावित किया। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा और उन्होने भी हमसे बहुत कुछ लिया। उनकी सामाजिक व्यवस्था भी बदली और हमारी भी और फिर उपनिवेशवाद आया– अंग्रेज आये; अब फिर व्यवस्थाओं का संघर्ष प्रारंभ हुआ। फिर बदलाव हुआ, युग आगे बढ़ा, हम स्वतंत्र हो गये और संविधान ने एक नई पहचान दी। परिवर्तन की यह प्रक्रिया थम गयी हो ऐसा नहीं है। यह बराबर चलती रहेगी।

हमारे देश में आज लगभग 4635 समुदाय है। ये समुदाय, दूसरे अर्थो में जातियाँ है। जातियो के स्थान पर समुदाय शब्द का प्रयोग शायद इसलिये किया गया है कि संविधान जाति, धर्म, लिंग को कोई मान्यता नहीं देता। हम अपनी जनगणना में भी जातियों का नामांकन नहीं करते। यह अवश्य है कि 1931 की जनगणना में हमें यहाँ 3000 से अधिक जातियाँ मिली थीं। यदि हम इन आँकड़ो की तुलना में आज के तथाकथित समुदायों के देखे तो कहना होगा कि ये जातियाँ 3000 से बढ़कर आज 4635 हो गयी है।

के.एस.सिंह को एक और जानकारी मिली। यहाँ जातियों के अतिरिक्त कई अनुसूचित जातियाँ (751), अनुसूचित जनजातियाँ (635), और अन्य पिछडे वर्ग (1046) है। इन सब समूहों को संविधान ने विशेष सुविधाएँ प्रदान की है। इन पिछड़े और कमजोर समूहो को संवैधानिक सुविधाएँ इसलिए दी गयी है कि इतिहास के पिछले वर्षों में इनका अत्यधिक शोषण हुआ है। एक लम्बी अवधि तक ये समूह निरक्षरता, गरीबी, और पिछडेपन के शिकार रहे है।[2]

सामाजिक दूरीः–व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच पृथक्करण की भावना अथवा वास्तविक पृथकता, सीमित समाजिक सम्बंध या सामाजिक अन्तर्क्रियाओं में उत्पंन किसी प्रकार का विघटन सामाजिक दूरी का संकेत देता है। सामाजिक दूरी की भावना में बहुधा भय तथा विद्वेश निहित रहता है। जिन समाजों में प्रस्थितियों में संस्तरण पाया जाता है; जैसे भारतीय जाति व्यवस्था में देखने को मिलता है, वहां सामाजिक दूरी भूमिका संरचना का एक भाग होती है। ऐसे समाजों में सामाजिक दूरी को वैध तथा वांछित माना जाता है।[3]

सामाजिक परिवर्तनः–किसी समाज की सामाजिक संरचना (सामाजिक संबधों का तानाबाना) अथवा सामाजिक संगठन (संस्थानों और सामाजिक भूमिकाओं) अथवा समाज के अन्य उपादानों में समय अन्तराल के साथ होने वाले बदलाव और परिष्करण की प्रक्रिया को सामाजिक परिवर्तन कहते है। यह बदलाव समाज की पूर्वती। स्थिति और बाद की स्थिति समाज के किन्हीं लघु समूहों में हुए छुट–पुट बदलाव की अपेक्षा वृहद सामाजिक प्रणाली या सम्पूर्ण सम्बंधों की व्यवस्था में आये व्यापक–बदलाव को इंगित करती है।[4]

विकास (Development):– विकास परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक देश के अधिकाधिक नागारिक उच्च भौतिक रहन–सहन के स्तर, स्वास्थ एवं दीर्घ जीवन प्राप्त करने के साथ–साथ अधिकाधिक मात्रा में शिक्षित होने का प्रयास करते है। दूसरे शब्दों में, सामाजिक जीवन में गुणात्मक सुधार (स्वास्थ्य, पौषाहार शिक्षा, आवास, औसत आयु, रहन–सहन की दशाएँ आदि) तथा मानवीय आवश्कताओं की पूर्ति को सामाजिक विकास कहते है। विकास किसी समाज की क्षमताओं में होने वाले ऐसे गुणात्मक परिवर्तन को इंगित करता है जिसके द्वारा कार्यकलापों को अधिक प्रभावशाली ढंग से संगठित किया जाता है। विकास संबंधो के स्वरूपों, नवीन लक्ष्यों, विचारों और पद्धतियों में अभिवर्धन होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन का परिलक्षित करता है। हम बहुधा विकास के साथ सामाजिक न्याय को जोड़ते है, इसका तात्पर्य ही यह है कि अन्यों (समृद्ध व्यक्तियों) की अपेक्षा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को विकास की रीति–रीतियों और स्वरूपों का अधिक लाभ मिले सार रूप में किसी समाज की विद्यमान दशा में कुछ सकारात्मक प्रगति का नाम विकास है।[5]

जाति व्यवस्था में परिवर्तनः– जाति व्यवस्था– वर्तमान, समय में जिस रूप में पाई जाती हैं, शतब्दियों की अवधिं में

विकास हुई है। वैदिक काल में जाति व्यवस्था के विषय में दो विचारधाराएँ है। एक विचारधारा के अनुसार जाति व्यवस्था का मूल आकार तो ऋग्वेद के प्रारंभिक चरण से ही मौजूद था (ब्राह्माण, क्षत्रीय वैश्य) के रूप में जबकि दूसरी विचारधारा के अनुसार यह जातियाँ नहीं वर्ण थे जिनमें लचीलापन था। उत्तर वैदिक काल में इनकी संख्या तीन से चार हो गई चौथी जो की शूद्र कहलाई। मौर्य काल में जाति व्यवस्था एक कट्टर संस्था के रूप में विकसित नहीं हुई थी। मौर्य काल के समाप्त होने के पश्चात् गुप्त काल में जाति व्यवस्था कट्टर रूप में स्थापित हुई और यह हर्षवर्धन काल तक वैसी ही बनी रही। राजपूत काल में जाति व्यवस्था में कठोरता बढ़ गई और मुसलिम काल आते–आते जाति की कठोरता में और वृद्धि हुई। परंतु मुगल काल की सामाप्ति एवं ब्रिटिश काल के आगमन के साथ धीरे–धीरे जाति संरचना में बड़ा अदलाव आना प्रारंभ हुआ। 1850 में अंग्रेजो द्वारा जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम बना, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और 1872 के विशेष विवाह अधिनियम आदि ने जाति व्यवस्था को गहरा आघात पंहुचाया। कुछ सामाजिक उपायों द्वारा अस्पृश्य जातियों की कुछ निर्योग्यताओं को समाप्त करके अंग्रेजों ने जाती व्यवस्था पर और प्रहार किया।[6]

ब्रिटिश काल में समाज सुधारको के कुछ आन्दोलनों ने भी जाति व्यवस्था पर प्रहार किया। औद्योगीकरण एवं शहरीकरण की प्रक्रियाओं ने विभिन्न जातियों को आपस में अन्तर्क्रिया करने का अवसर प्रदान किया नये–नये उद्योग धंधों कारखानों आदि में काम करने वाली विभिन्न जातियों के सम्बंधों में बदलाव आना प्रारंभ हुआ और जाति व्यवस्था में पूर्वकाल की तुलना में काफी कमी आने लगी। स्वतंत्रता के बाद औद्योगीकरण तथा नगरीकरण आदि कारकों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कारक जिन्होंने जाति व्यवस्था को प्रभावित किया है वे हैः विभिन्न प्रान्तों के विलय, विविध कानूनों का क्रियान्वयन, शिक्षा का विस्तार, सामाजिक–धार्मिक सुधार, पश्चिमीकरण, आधुनिक व्यवसायों का विकास, स्थानीय गतिशिलता, तथा बाजार–अर्थव्यवस्था का विकास आदि। देश में नयें संविधान की रचना से धर्मजाति के भेद के बिना सभी व्यक्तियों के लिए न्याय, स्वतंत्रता व समानता का प्रावधान है, तथा जिसके द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान समय में जाति व्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इतनी कठोर नहीं रह गई।[7]

सामाजिक विकास एवं जाति व्यवस्था में परिवर्तनः– समाज सरलता से जटिलता, बर्बरता से सभ्यता की और गतिशील होता है। समाज का विकास पशुवत जीवन को त्यागता हुआ वैज्ञानिकता, धर्मनिप्रेक्ष्यता एवं लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ता है। स्वतंत्रता समानता एवं बन्धुत्व की भावना आदर्श एवं खुशहाल समाज की स्थापना करती है। बंद समाज की मान्यताएँ ढीली पढ़ती है। विघटनकारी असमानताओं पर आधारित प्रथा, परम्पराएँ एवं रूढिवादी अंधविश्वास का समाज में पतन होता है। औद्यौगीकरण नगरीकरण ने आधुनिकता को जन्म दिया है। समाज में प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला परम्परागत समाज वैज्ञानिकता एवं प्रतिशीलता की ओर आगे बढ़ता है। प्रदत्त प्रस्थितियों के स्थान पर अर्जित प्रस्थितियों के मूल्यों को समाज में प्राथमिकता दी जाती है। अंध धार्मिकता, रूढियों, परम्पराओं, प्रजातिवाद, नस्लवाद एवं जातिवाद जैसी धारणाएँ कमजोर होती जाती है। यह धारणाएँ औद्यौगीकरण आदि का परिणाम कही जा सकती है। मानवों का अपने क्षेत्रीय एवं जातिगत समूह के घेरे से निकलकर अनेको संस्कृतियों परम्पराओं विचारधाराओं, जातियों समूहों से सम्पर्क ने अन्तर्क्रिया के माध्यम से सामाजिक सम्बंधो को बढ़ाने में महत्व पूर्ण योगदान दिया है।

अन्तर्क्रिया की यह दर समाज की विभिन्न जातियों को आपस में मिलने सांस्कृतिक आदान–प्रादन करने तथा संस्तरणात्मक व्यवस्था को कुछ हद तक सामाप्त व सीमित करने में सहायक होती है। भारतीय संदर्भ में भी यह प्रक्रिया जाति व्यवस्था को सीमित करने में कारगर रही है। जिसमें सबसे बड़े योगदान के रूप में भारतीय संविधान द्वारा नागरिको को प्राप्त मौलिक अधिकारों को राज्य के प्रयासों का परिणाम माना जा सकता है।

अध्ययन के उद्देश्यः– कार्यालयों एवं संस्थानों में विभिन्न जतियों के सदस्यों के मध्य होने वाली सामाजिक अन्तर्क्रिया एवं व्यवहार का अध्ययन करना।

उपकल्पनाः– विभिन्न जातियों के सदस्यों के मध्य अन्तर्क्रियाओं की दर में वृद्धि जातिगत दूरी को घटाने में सहायक होती है।

अध्ययन विधि एवं अध्ययन क्षेत्रः– प्रस्तुत ' शोध प्रपत्र दमोह जिले के शासकीय संस्थानों विशेषकर कलेक्टर कार्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी जातियों के सदस्यों पर केन्द्रित है। अध्ययन हेतु वर्णात्मक एवं सह–विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि का उपयोग कर सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 60 सूचनादाताओं का चुनाव उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि के आधार पर किया गया है।

अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही तथ्यों का यथोचित उपयोग कर प्राथमिक तथ्यों का संकलन साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से किया गया है। अनुसूची में विभिन्न जातियों के मध्य आपसी अन्तर्क्रिया, मेल–जोल एवं सामाजिक सम्बंधों की स्थिति के सन्दर्भ में जातिगत दूरी एवं निकटता बनाने में अन्तर्क्रियात्मक सम्बंधों से सम्बंधित प्रश्नों का समावेश किया गया है।

सारणी क्रमांक 01. कार्यालय में अन्य जातियों के अधिकतम 5 मित्रों की प्राथमिकता का वर्गीकरण

क्र.	श्रेणी		मित्रता की स्थिति									
	मित्रता	संख्या	सामान्य संख्या	प्रति.	अ. पि. वर्ग संख्या	प्रति.	अनु. जाति संख्या	प्रति.	अनु. ज. जाति संख्या	प्रति.	संख्या	प्रतिशत
1.	सामान्य	15×5	–	–	51	68	22	29.33	2	2.67	75	100.00
2.	अन्य पि.वर्ग	15×5	33	44.00	–	–	33	44.00	9	12.00	75	100.00
3.	अनु. जाति	15×5	18	24.00	36	48.00	–	–	21	28.00	75	100.00
4.	अनु.ज.जाति	15×5	15	20.00	29	38.66	31	41.34	–	–	75	100.00
	कुल योग	**60**	**66**	**80.00**	**116**	**154.66**	**86**	**114.67**	**32**	**42.67**		

सारणी 02. कार्यालय में अन्य जातियों से मित्रता का आधार

क्र.	मित्रता का आधार	सामान्य संख्या	प्रति.	अ. पि. वर्ग संख्या	प्रति.	अनु. जाति संख्या	प्रति.	अनु. ज. जाति संख्या	प्रति.	संख्या	प्रतिशत
1.	सम्पत्ति	1	6.66	1	6.67	–	–	–	–	02	3.33
2.	पद	3	20.00	2	13.33	2	13.34	1	6.67	08	13.33
3.	सामाजिक प्रभाव	3	20.00	2	13.33	3	20.00	3	20.00	11	18.34
4.	जाति	2	13.34	2	13.33	–	–	–	–	04	6.66
5.	सामाजिक अन्तःक्रिया	6	40.00	8	53.34	10	66.66	11	73.33	35	58.34
	कुल योग	**15**	**100.00**	**15**	**100.00**	**15**	**100.00**	**15**	**100.00**	**60**	**100.00**

उपरोक्त सारणी क्रमांक 01 कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के अपने कार्यालय में काम करने वाली अन्य जातियों के 5 लोगो से मित्रता करने की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। सारणी से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सामान्य जाति के 15 सूचनादाताओं में से प्रत्येक के द्वारा गैर सामान्य जाति के अधिकतम 5 मित्रों की प्राथमिकता के क्रम में 68.00 प्रतिशत मित्र अन्य पिछडा वर्ग की जातियों के; 29.33 प्रतिशत अनुसूचित जाति की श्रेणियों में आने वाले तथा 2.67 प्रतिशत मित्र अनुसूचित जनजाति श्रेणी के रहे। इसी क्रम में 15 अन्य पिछडा वर्ग के प्रत्येक सूचनादाताओं के 5 गैर अन्य पिछडा वर्ग के मित्रों में 44.00 प्रतिशत सामान्य जातियों के व 44.00 प्रतिशत अनुसूचित जाति श्रेणी में आने वाली जातियों के पाये गये। जबकि 12.00 प्रतिशत मित्र अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाली जातियों के रहे। वहीं अनुसूचित जाति के 15 सूचनादाताओं में प्रत्येक के गैर अनुसूचित जाति के अधिकतम 5 मित्रों में से 18.00 प्रतिशत सामान्य जाति के, 48. 00 प्रतिशत अन्य पिछडा वर्ग से, तथा 28.00 अनुसूचित जनजाति के मित्र रहे। अतः कार्यालय में प्रत्येक जाति के सदस्यों की मित्रता अपनी जाति के अलावा अन्य जातियों के व्यक्तियों से भी देखी गई है। जिनके साथ रोजमर्रा के जीवन में उनका एक साथ उठना बैठना, चाय–पान करना तथा विभिन्न गतिविधियों, तीज त्यौहारो आदि में पारस्परिक रूप से सम्मालित होना देखा गया है। जो कि सामाजिक व्यवहार में एक ही स्थान या कार्यालय में कार्य के दौरान पनपी मित्रता रही है। जिसका निर्माण मुख्य रूप से सामाजिक अन्तर्क्रिया द्वारा उपजा सामाजिक सम्बंध रहा है।

उपरोक्त सारणी क्रमांक 02 कार्यालय में अन्य जातियों के सदस्यों के साथ मित्रता किये जाने के आधारों को स्पष्ट किया गया है। तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सबसे कम 3.33 प्रतिशत सूचनादाताओं ने मित्रों का चुनाव सम्पत्ति को ध्यान में रखकर किया। जिसमें सामान्य जाति के 6.66 प्रतिशत व अन्य पिछडा वर्ग के 6.67 प्रतिशत सूचनादाताओं की मित्रता का आधार सम्पत्ति रहा है।

पद के आधार पर कार्यालय में मित्रता निभाने वाले 13.33 प्रतिशत सूचनादाता देखे गये जिसमें सभी श्रेणी के सूचनादाता रहे। जबकि सामाजिक प्रभाव को मित्रता के आधार के रूप में 18.34 प्रतिशत सूचनादाताओं ने सहमति व्यक्त की है। जिनमें सभी श्रेणी के सूचनादाता देखे गये। वहीं सर्वाधिक 58.34 प्रतिशत् सूचनादाताओं ने सामाजिक अन्तर्क्रिया (सामाजिक व्यवहार) को मित्रता का आधार बताया जिसमें सामाजिक अन्तर्क्रिया को सर्वाधिक प्राथामिकता 73.33 प्रतिशत् अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा दी गई द्वितीय क्रम में 66.66 प्रतिशत अनुसूचित जाति के सदस्यों ने तृतीय क्रम में 53.34 प्रतिशत् अन्य पिछडा वर्ग के सदस्यों एवं 40 प्रतिशत् सामान्य जाति के सदस्यों ने सामाजिक अन्तर्क्रिया को मित्रता का आधार बताया। इसी प्रकार जाति के आधार पर 6.66 प्रतिशत सूचनादाताओं ने अपने कार्यालयीन लोगों से मित्रता करने में उनकी जातिगत प्रस्थिति को ध्यान में रखा। जिनमें क्रमशः 13.34 व 13.33 प्रतिशत् सूचनादाता सामान्य व अन्य पिछडा वर्ग के रहे है। अतः कार्यालय में व्यक्ति की मित्रता के आधारों में सामाजिक अन्तर्क्रिया (सामाजिक व्यवहार) को सर्वाधिक वरियता दी जाती है।

तथ्यों का विश्लेषणः–

- कार्यालय में सभी जातियों के लोगों की अपनी जाति से पृथक सभी श्रेणियों में आने वाले लागों के साथ मित्रता होती है।
- कार्यालय में सहकर्मियों के मध्य मित्रता का आधार जाति नहीं होती।
- कार्यालय में सहकर्मियों के मध्य मित्रता का आधार सामाजिक अन्तःक्रिया (सामाजिक व्यवहार) एवं प्रभावी व महत्वपूर्ण व्यवहार का प्रतिमान है।
- सामाजिक अन्तर्क्रिया के व्यवहार की तुलना में सम्पत्ति, पद व जाति मित्रता हेतु गौंड भूमिका निभाते है।

उपकल्पना का सत्यापनः–

विभिन्न जातियों के मध्य अन्तर्क्रियाओं की दर में वृद्धि जातिगत दूरी को सीमित करती है। प्रस्तुत उपरोक्त परिकल्पना की वैधता सारणी क्रमांक 02 से प्राप्त तथ्यों के आधार पर वैध पाई गई। जिसमें लोग मित्रता के आधार के रूप में सामाजिक अन्तर्क्रिया, सामाजिक व्यवहार को वरियता देते है न की जातिगत प्रस्थिति को। अतः विभिन्न जातियों के मध्य सामाजिक अन्तर्क्रिया की मात्रा में वृद्धि होने पर जातिगत दूरियों के समाप्त होने की सम्भावना अधिक होती है।

निष्कर्षः–

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कि विभिन्न जाति समूहों के मध्य जितनी अधिक अन्तर्क्रिया एवं सामाजिक व्यवहार होगा उतनी ही अधिक जातियों के मध्य आपसी सहयोग एवं सामंजस्य में वृद्धि होगी। जातियों के मध्य आपसी घृणा एवं ऊँच–नीच की असामनता पर आधारित भावना समाप्त होगी; जातियों के मध्य की सामाजिक दूरी मिटेगी जो की समाज एवं राष्ट्र के विकास में सकारात्मक योगदान दे सकेगी।

सुझावः–

भारत में विभिन्न जातियों के मध्य आपसी घृणा, द्वेष एवं ऊँच–नीच की भावना जातियों के मध्य दूरी व सीमित अन्तः र्क्रियाओं का परिणाम रहा है। जाति बंद वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी जाति के सदस्यों को दूसरी जाति के सदस्यों के साथ मेल–जोल, खान–पान एवं सामाजिक व्यवहार में दूरी बनाये रखने के कारण जातियाँ अज्ञानता वश दूसरी जातियों के प्रति भय एवं घृणा का भाव रखती आई है। अतः जातिगत भावनाओं को समाप्त करने में सभी जातियों का आपसी समागम विभिन्न अवसरों पर होना उचित है तथा सभी कार्यों एवं कार्यालयो में सभी स्थानों पर सभी जातियों का जनसंख्यात्मक आधार पर प्रतिनिधित्व होना उचित जो जाति की कठोरता को कमजोर को करता है एवं जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाता है।

संदर्भ सूची–:

1. रावत हरिकृष्ण,(2008) उच्चत्तर समाजशास्त्र विश्वकोश, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर नई दिल्ली, पृ.सं. 247.
2. दोषी, एस.एल. एवं पी.जी. जैन (2002) भारतीय समाज; संरचना और परिवर्तन नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर–दिल्ली, पृ.सं.06

3. रावत हरिकृष्ण,(2008) उच्चत्तर समाजशास्त्र विश्वकोश, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर नई दिल्ली, पृ.सं. 240
4. वही पृ. सं. 435
5. वही पृ. सं. 117
6. वही पृ. सं. 440
7. आहूजा राम (2012) भारतीय सामाजिक व्यवस्था रावत पब्लिकेशन्स जयपुर, नई दिल्ली पृ.स. 239 से 250